न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—240/2017/223 (2017/00240)

1. श्रीमती मुन्नी देवी बेवा नृसिंह, पुत्रवधु स्व0 कालूराम,
2. पवन पुत्र स्व0 नृसिंह,
3. सुखपाल पुत्र स्व0 नृसिंह,
4. सुश्री मिनाक्षी पुत्री स्व0 नृसिंह,
5. श्रीमती सायरी देवी बेवा कालूराम,

समस्त जाति साधू, निवासी ग्राम पीसांगन, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती गंगादेवी पुत्री स्व0 कालूदास, पत्नी हनुमान दास वैष्णव, निवासी गढ़ी मालियान मंदिर के पास, अजमेर ।
2. श्रीमती नानी देवी पुत्री स्व0 कालूदास, पत्नि बंशीदास वैष्णव, निवासी चैनपुरा मौहल्ला, ग्राम पीसांगन, जिला अजमेर ।
3. श्रीमती रामा देवी पुत्री स्व0 कालूदास पत्नि किशनगोपाल वैष्णव, निवासी ग्राम दिलवाड़ा, ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती श्यामा देवी पुत्री कालूदास, पत्नि सत्यनारायण वैष्णव, निवासी ग्राम भगवानपुरा, पुष्कर, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती मीरा पुत्री स्व0 कालूदास, पत्नि लक्ष्मण वैष्णव, नि0 बालाजी मंदिर के पास, शास्त्री नगर, अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 15.5.2017 अंतर्गत वाद संख्या 47/2011.

उपस्थितः—

1. श्री मनीष रावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री एन0एस0 राजावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2 व 5.
3. रेस्पो0 संख्या 3 व 4 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः— 20.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय एव डिक्री दिनांक 15.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस के पेश कर निवेदन

किया कि ग्राम पीसांगन, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर अवस्थित खाता संख्या 76 के खसरा नंबर 1913 रकबा 5–2–10 नवीन खाता संख्या 524 के नवीन खसरा नंबर 3582 रकबा 0.83 है0, खसरा नंबर 1968 रकबा 5–2–10 के नवीन खसरा नंबर 0.83 हे0, खसरा नंबर 1978 रकबा 4–8–00 के नवीन खसरा नंबर 3590 रकबा 0.71 है0 एवं खसरा नंबर 1980 रकबा 2–5–00 के नवीन खसरा नंबर 0.36 है0 बने है । विवादित भूमि के मूल खातेदार एवं वादीगण के पिता कालूदास वल्द शंकरदास का स्वर्गवास दिनांक 10.4.1997 को हो जाने पर उनके विधिक वारिसान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 1 पत्नि एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के स्व0 पति एवं पिता श्री नृसिंह पुत्र है । वादीगण के पिता कालूदास पुत्र शंकरदास का स्वर्गवास होने के पश्चात् वादीगण के भाई स्व0 नृसिंह द्वारा तथ्यों छिपाकर गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण विरासत नामांतकरण संख्या 200 दिनांक 7.9.1998 को वादीगण की माता श्रीमती सायरी देवी प्रतिवादी संख्या एवं स्वंय के नाम दर्ज करवा लिया गया । तत्पश्चात् दिनांक 4.7.2008 को नृसिंह का स्वर्गवास हो जाने पर गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इंद्राज के आधार पर 1/2 हिस्सा जरिये विरासत प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के नाम अंकित कर दिया गया । इसी प्रकार गैर कानूनी इंद्राज के आधार पर अंकित 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती सायरी देवी से पतिवादी संख्या 2 द्वारा गैर कानूनी रूप से पंजीकृत हक–त्याग विलेख दिनांक 30.12.2008 अपने पक्ष में निष्पादित करवाते हुए संपूर्ण कृषि भूमियों का जरिये नामांतकरण संख्या 778 दिनांक 10.2.2009 से अपने नाम अंकित करवा लिया है । जबकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 स्व0 कालूदास की विधिक वारिसान एवं पुत्रियां होने से भारतीय हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 एवं संशोधित अधि0 2005 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य मे वादपत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित पैतृक कृषि भूमियों के समान सहहिस्सेदार होकर प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा निहित है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजियात में 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 15.5.2017 को पारित कर वाद में प्रारंभिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली पर अपीलांटस का प्रस्तुत जवाब एवं वादिया/प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो कि अन्यन्त गंभीर आरोपों के साथ वादिया द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पर गौर न कर एवं उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना निर्णरू व डिक्री पारित की है जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों तथा विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली पर अपीलांटस/प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावे में श्रीमती सायरी देवी बेवा कालूदास द्वारा मुन्नीदेवी बेवा नृसिंह के हक में अपने अंश व हिस्से की 1/2 भूमि बाबत् निष्पादित पंजीकृत हक विलेख को सिविल न्यायालय से निरसत कराये बिना जारी की गई निर्णय व प्राथमिक निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलग्रस्त निर्णय पारित करने से पूर्व अभिलेख पर मौजूद राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, गिरदावरियों का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है ।

विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम किये बिना तथा अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना केवल मात्र सरसरी तौर पर वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये है जो विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वाद को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के बाबत् उनके अधिवक्ता द्वारा अपीलांटस को कोई सूचना नहीं दी गई जिससे अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । अपीलांट संख्या 1 विधवा स्त्री है जिसको कानून एवं विधि की जानकारी नहीं है । अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होते ही अपीलांटस ने जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश कर दी है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2 व 5 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस के पैरा संख्या 7 में वर्णित अभिकथन अपने जवाब वाद एवं मूल अपील में वर्णित अभिवचनों के तहतउल्लेखित नहीं किये गये है । इस कारण अपीलांट द्वज्ञारा लिखित बहस के पैरा संख्या 7 में वर्णित विधिक आधार आदेश 6 नियम 1 जा0दी0 के तहत वर्णित होकर अपील निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी निवेदन किया जाना उचित एवं पर्याप्त होगा कि वादीगण/रेस्पो0 द्वारा लिविंग कोपार्सनर के विधिक आधार पर मूल वाद प्रस्तुत किया गया है जिसको स्वीकार किये जाने में अधी0न्याया0 ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है । बहस में आगे यह भी कथन किया कि अपीलांट द्वारा लिखित बहस में मुख्य आधार यह प्रस्तुत किया है कि वादीगण/रेस्पो0 द्वारा विरासत नामांतकरण एवं हक त्याग विलेख के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण को चुनौती नहीं दी गई है जबकि वादीगण द्वारा वादपत्र की चरण संख्या 3 व 4 के तहत गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण नामांतकरण को चुनौती दी है इस कारण उक्त नामांतकरणों के विरूद्ध पृथक से अपील प्रस्तुत करन चुनौती दिये जाने की आवश्यकता नही है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजी के मूल खातेदार कालूदास रहे है जिनका स्वर्गवास दिनांक 10.4.1997 को हुआ । स्वर्गवास की दिनांक को वादीगण/रेस्पो0 जायंदा विवाहित पुत्रियां होकर विद्यमान करती थी, परन्तु उनके भाई नृसिंहदास द्वारा विरासत नामांतकरण केवल मात्र माता श्रीमती सायरी देवी एवं स्वंय के नाम नामांतकरण संख्या 200 दिनांक 7.9.1998 को स्वीकृत करवा लिया गया तथा उक्त गैर कानूनी इंद्राज के आधार पर श्रीमती सायरी देवी से वर्तमान अपीलांटस द्वारा त्याग विलेख दिनांक 30.12.2008 को निष्पादित करवाया जाकर नामांतकरण संख्या 778 दिनांक 10.2.2009 विधि विरूद्ध रूप से स्वीकृत करवाया गया है जबकि हक त्याग को धारा 63 राज0काश्त0अधि0 के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। इस पकार प्रारंभतः अवैध एवं शून्य दस्तावेज को सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती दिये जाने की आवश्यकता नही होकर अपीलांटस द्वारा अपील के माध्यम से उठाये गये विधिक आधार साहरीन होने से अपील अपीलांट निरस्त किये जाने योग्य है । उत्तराधिकार अधि0 1956 दिनांक 2.6.1956 को प्रभाव में आया तथा उसमें संशोधन कर धारा 6 के तहत सन् 2005 में पुत्रियों को पुत्रों के समान रूप से

अधिकार प्रदान किये गये है । इस प्रकार वादीगण लिविंग कोपार्सनर होने के आधार पर अपने पिता की सम्पति में 1/7, 1/7 हिस्सा निहित करता है । जिसकी घोषणा खातेदारी एवं विभाजन की आज्ञाप्ति पारित करने में अधी0न्याया0 ने किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नही की गई है । बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में कहीं पर भी निर्णय व डिक्री की जानकारी की तिथि एवं प्रमाणित प्रति प्राप्त किये जाने की तिथि का उल्लेख नही किया है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं पर्याप्त नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज किया जाकर अपील मियाद बाहर होने से भी खारिज योग्य है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने विलंब के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम प्रकरण का तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकेन किया गया । वादीगण/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित भूमि के मूल खातेदार एवं वादीगण के पिता कालूदास वल्द शंकरदास का स्वर्गवास दिनांक 10.4.1997 को हो जाने पर उनके विधिक वारिसान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 1 पत्नि एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के स्व0 पति एवं पिता श्री नृसिंह पुत्र है । इस प्रकार विवादित आराजियात पैतृक होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधनों के अनुसार रेस्पो0 का भी विवादित आराजियात में समान हक व अधिकार निहित होकर वादीगण/रेस्पो0 का विवादित आराजियात में 1/7, 1/7 हिस्सा है। वाद प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया । वाद के विचाराधीन रहते प्रार्थीया/वादिया रामादेव ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादिया रामदेवी उर्फ रामेश्वरी देवी पुत्री कालूदास पत्नि किशनगोपाल जाति साधू हाल निवासी देलवाड़ा तह0 ब्यावर के फर्जी हस्ताक्षर कर के उप्रकरण में वादिया बनाया गया है जबकि वादिया ने अपने पिता की चल–अचल सम्पति से कभी भी न तो हिस्सा चाहा है एवं न ही भविष्य में कभी कोई हिस्सा चाहुंगी । अतः मेरा उक्त प्रकरण में से निरस्त करवाने की कृपा करावे । उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 मिसल वास्ते अग्रिम कार्यवाही के पूर्व निर्धारित दिनांक 11.6.2014 को नियत की । तत्पश्चात् पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी में चलती रही तथा सरकार पेरोकार ने समय हेतु जवाब चाहा । अधी0–न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगकण के विरूद्ध कब एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर किसी प्रकार का आदेश मौजूद नहीं है । अधी0न्याया0 की आदेशिका से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस की तलबी पूर्ण हुए बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वादीगण/रेस्पो0 का वाद विस्तृत विवेचन, विश्लेषण किये बिना तथा अपीलांटस/प्रतिवादीगण को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना तनकियात कायम किये एकतरफा में पारित किया है । यह विधि का सुस्थापित

सिद्धांत है कि जहां पक्षकारान के हित निहित हो वहां पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने केवल मात्र सरसरी तौर पर वादीगण/रेस्पो0 के कथनानुसार वाद को डिक्री करने के आदेश पारित किये है जिसे विधिसम्मत् नही माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधी0न्याया0 विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.5.2017 को निरस्त किया जाता है । पत्रावली अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर